नीम कीटनाशक आदि बाज़ार में उपलब्ध हैं। भारत में कई कम्पनियों ने विभिन्न नामों से नीम के कीटनाशक बनाए। इनमें ऐज़ाडिट, बीज़ोसाल, फील्डमार्शल, मारगोसाइड-सी, मारगोसाइडि-ओ, नीमसोल, नीमगोल्ड, नीमगार्ड, नीमहिट एवं हाल ही में उत्पादित नीमता 2100 प्रमुख हैं।

वर्तमान युग में नीम के महत्व को जानकर हम भारतीयों को इसका अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के सदियों से साथी रहे इस कल्पतरू की हमें रक्षा करनी चाहिए। *(स्रोत विशेष फीचर्स)*

नीम के आधुनिक उपयोग

नीम के कई आधुनिक उपयोग ज्ञात हो चुके हैं, इनमें प्रमुख हैं :

क) चैगास रोग के उपचार में : यह रोग एक परजीवी ट्रिपनोसोमा क्रूजी द्वारा फैलता है। परजीवी रक्त चूसने के दौरान इन रोगाणुओं को शरीर में छोड़ देता है, जो फेफड़ों एवं हृदय को हानि पहुंचाते हैं। इसके उपचार में नीम में पाया जाने वाला ऐज़ाडिरेक्टीन रसायन उपयोगी सिद्ध हुआ है।

ख) मलेरिया के उपचार में : नीम में पाया जाने वाला गिड्निन नामक रसायन सम्भवतः कुनैन प्रतिरोधी मलेरिया पर कारगर हो सकता है।

ग) माईकोटॉक्सिन उत्पन्न करने की दर कम करने में : कुछ हानिकारक कवक जैसे एस्परजिलस फ्लेक्स तथा अन्य संग्रहित खाद्य पदार्थों में कवक विष उत्पन्न करते हैं। विभिन्न आधुनिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है कि नीम का विलयन इन कवकों की वृद्धि दर को नियंत्रित करता है तथा इनके द्वारा कवक विष उत्पन्न करने की दर को भी कम करता है।

पेटेंट : विधेयक और भारतीय सम्पदा

डॉ. एन. के. बौहरा

प्राचीन काल से ही भारत में वृक्षों का महत्व रहा है। भारतीय पौराणिक साहित्यों में भी वृक्षों के सामाजिक, आर्थिक एवं चिकित्सकीय महत्व का उल्लेख मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की इन चिर-परिचित अमूल्य सम्पदा के अधिग्रहण का प्रयास विश्वभर में जारी है। इस प्रयास में कुछ देशों को आंशिक सफलता भी मिली है। दरअसल भारतीय पेटेंट कानून के अशक्त होने का इन्हें दुहरा लाभ मिला है। अमरीकन कंपनियों ने एक के बाद दूसरे भारतीय पादपों का पेटेंट हड़पना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हाल ही में एक नया पादप ईसबगोल भी जुड़ गया है।

पेटेंट क्या है ?

पेटेंट प्रणाली की शुरुआत 1474 में इटली में हुई। उस समय वहां उद्योगों के नाम पर छोटे-छोटे शिल्प संघ जिन्हें गिल्ड कहते थे, हुआ करते थे। इनके कुशल मज़दूर ही उनके संयुक्त मालिक हुआ करते थे। इन उद्योगों में काम सीखने वाले शागिर्द दक्षता प्राप्त कर अपना नया संघ बना लेते थे। इस प्रकार पुराने संघों को बहुत परेशानी हुआ करती थी। इसी हेतु गिल्डों (संघों) के मालिकों ने कार्य सीखने वाले मज़दूरों को एक निश्चित अवधि तक काम करने हेतु बाध्य किया। इस प्रकार के कानून को सरकारी मान्यता द्वारा पेटेंट अधिकार कहा गया।

पेटेंट प्रणाली की शुरुआत 1474 में इटली में हुई। उस समय वहां उद्योगों के नाम पर छोटे-छोटे शिल्प संघ जिन्हें गिल्ड कहते थे, हुआ करते थे। इनके कुशल मज़दूर ही उनके संयुक्त मालिक हुआ करते थे।

परन्तु वास्तव में पेटेंट की शुरुआत इंग्लैण्ड में हुई जहां एक आविष्कारक जॉन ऑफ आटिनम (जिन्होंने रंगीन कांच का आविष्कार किया था) को महाराजा ने 20 वर्षों तक रंगीन कांच बनाने का एकाधिकार दे दिया। समय के साथ पेटेंट कानून में फेरबदल हुआ। सन् 1791 में फ्रांस में बना पेटेंट कानून खोजकर्ता के एकाधिकार को उसका प्राकृतिक अधिकार मानता था परन्तु अन्य देश इससे सहमत नहीं थे। अतः सम्पूर्ण विश्व में पेटेंट कानूनों में एकरूपता